

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन-ID

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर चर्चा व्यक्त की है।

- केंद्र ने राज्यों से राज्य में वदेशी नागरिकों के संबंध में प्रत्यारोपण की जाँच के लिये [मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम \(THOTA\), 1994](#) के तहत उचित प्राधिकारी को निर्देश देने का आग्रह किया है।
- इसने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि **जीवित-दाता** और **मृत-दाता** दोनों के अंगों के प्रत्यारोपण हेतु दाता व प्राप्तकर्ता के लिये एक [NOTTO \(राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन- National Organ & Tissue Transplant Organisation\) ID](#) बनाया जाए।
 - **मृतक-दाता प्रत्यारोपण** के मामले में अंगदान पर विचार करने के लिये [NOTTO-ID अनिवार्य](#) है।
- केंद्र ने निर्देश दिया है कि **जीवित-दाता प्रत्यारोपण** के मामले में भी यह ID प्रत्यारोपण सर्जरी होने के बाद जल्द-से-जल्द, अधिकतम **48 घंटों** के भीतर तैयार की जाएगी।
- भारतीय कानून के अनुसार, **देश में अंग के वाणिज्यिक व्यापार की अनुमति नहीं है**।
 - किसी जीवित व्यक्ति द्वारा अंगदान तभी किया जा सकता है जब वे (दाता तथा प्राप्तकर्ता) आपस में **निकट संबंधी** हों या **नज़दीकी रिश्ते** में हों और **नस्वार्थ** भाव से अंगदान करना चाहते हों।

और पढ़ें: [अंग प्रत्यारोपण में सुधार](#)